

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या- 13/2019

निर्णय दिनांक - 04.04.2019

छगनलाल पिता नारायणजी जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बांगेडा घाटा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. बाली बाई पत्नि छगनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. भेरूलाल पिता नारायणजी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बांगेडा घाटा पटवार हल्का बांगेडा घाटा तह0 निम्बाहेडा की प्राथी के खातेदार व कब्जे की खाता संख्या 610 की आराजी नं0 2198/1021 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बांगेडा घाटा पटवार हल्का बांगेडा घाटा तह0 निम्बाहेडा की प्राथी के खातेदार व कब्जे की खाता संख्या 610 की आराजी नं0 2198/1021 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

